प्रेषक,

सहायक अभियंता,

प्रथम उपखण्ड, निचली गंगा नहर, मैनपुरी

सेवा में,

निदेषक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक : **/आराजी पट्टे/नीलामी/ दिनांक :**

विषय : सिंचाई विभाग की रिक्त पड़ी भूमि को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर देने हेतु नीलामी के प्रचार–प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद मैनपुरी में **मैनपुरी प्रखण्ड** के अंतर्गत **प्रथम उपखण्ड** में सिंचाई विभाग की रिक्त पड़ी भूमि को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर देने हेतु नीलामी की सूचना 6 प्रतियों में संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसका **निःशुल्क प्रकाशन** आगरा एवं कानपुर से प्रकाशित होने वाले जनपद मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद एवं कन्नौज में प्रकाशित होने वाले दो बहुप्रचलित समाचार पत्रों में एक बार कराने की कृपा करें।

संलग्नक : नीलामी सूचना
6 प्रतियों में सी0डी0 सहित।

(सै0 शाहनवाज अली किरमानी)
सहायक अभियन्ता,
प्रथम उपखण्ड, नि0गं0न0,
मैनपुरी

पत्रांक : /आराजी पट्टे/नीलामी/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद मैनपुरी।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद मैनपुरी।
3. मुख्य अभियंता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, कानपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, द्वितीय मण्डल, सिंचाई कार्य, कानपुर।
5. अधिशासी अभियंता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि नीलामी की सूचना सिंचाई विभाग की बेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
6. अधिशासी अभियंता, मैनपुरी प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, मैनपुरी।
7. सहायक अभियंता, द्वितीय एवं तृतीय उपखण्ड, निचली गंगा नहर, मैनपुरी।
8. उपराजस्व अधिकारी, निचली गंगा नहर, मैनपुरी।
9. जिलेदार प्रथम, मैनपुरी।

(सै0 शाहनवाज अली किरमानी)
सहायक अभियन्ता,
प्रथम उपखण्ड, नि0गं0न0,
मैनपुरी

प्रथम उपखण्ड, मैनपुरी प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, मैनपुरी
वित्तीय बर्ष 2018—19 एवं 2019—20 हेतु सिंचाई विभाग की रिक्त पड़ी भूमि को कृषि कार्य के लिये पट्टे पर दिये जाने हेतु नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित मौको पर सिंचाई विभाग की रिक्त पडी भूमि को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर दिये जाने हेतु सार्वजनिक नीलामी **सहायक अभियंता, प्रथम उपखण्ड के मैनपुरी स्थित उपखण्डीय कार्यालय पर 06.06.18 दिन बुधवार को प्रातः 11:00 बजे** उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष की जायेगी। सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक स्थानीय कृषक नियत समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें। अभिलेखों के साथ उपस्थित होने वाले कृषक ही नीलामी हेतु बोली बोलने के पात्र होंगे। धरोहर धनराशि नीलामी समाप्ति पर वापिस कर दी जायेगी।

नीलामी जिस व्यक्ति के नाम समाप्त होगी, उसे कुल धनराशि तत्काल जमा करानी होगी। नियमानुसार स्टाम्प शुल्क कृषक द्वारा ही वहन किया जायेगा। नीलामी की अन्य नियम एवं शर्तें किसी भी कार्यदिवस में उपखण्डीय कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकती हैं।

कमांक	मौके का नाम	ग्राम का नाम	नहर विभाग की रिक्त पडी भूमि की गाटा संख्या	रकवा एकड़ में
1	कानपुर शाखा के कि0मी0 27.00 पटरी दांया पर नहर विभाग की आराजी	ग्राम नगला सलेही, परगना व तहसील घिरोर, मैनपुरी	गाटा संख्या 480, 481, 482, 564, 564 / 1498	रकवा लगभग 5.00 एकड़
2	कानपुर शाखा के कि0मी0 82.00 पटरी दांया पर नहर विभाग की आराजी	ग्राम ढढौस, परगना व तहसील किशनी, मैनपुरी	गाटा संख्या 171,172,173,186,187, 241,342 एवं 367,	रकवा लगभग 3.00 एकड़
3	कानपुर शाखा के कि0मी0 0.300 पटरी दांया पर नहर विभाग की आराजी	ग्राम नामन दरियाय सिंह, परगना मुस्तफाबाद, तहसील जसराना, जिला फिरोजाबाद	गाटा संख्या 150(अ),	रकवा लगभग 2.72 एकड़
4	कानपुर शाखा के कि0मी0 0.300 पटरी दांया पर नहर विभाग की आराजी	ग्राम नामन दरियाय सिंह, परगना मुस्तफाबाद, तहसील जसराना, जिला फिरोजाबाद	गाटा संख्या 153	रकवा लगभग 1.20 एकड़

सिंचाई विभाग की भूमि केवल खेती के लिये निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर पट्टे पर दी जायेगी :—

1. स्थानीय भूमिहीन अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्ति,
2. स्थानीय भूमिहीन / खेतिहीन श्रमिकों तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों
3. स्थानीय रक्षा कर्मचारियों जिनकी मृत्यु युद्धक्षेत्र में हुई हो, के आश्रित भूमिहीन विधवा, पुत्र, अविवाहित पुत्रियों या उसके माता—पिता
4. स्थानीय उन रक्षा कर्मचारियों को जो सेवाकाल में विकलांग हो गये हों।
5. स्थानीय भूमिहीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी।
6. यदि उपरोक्त वर्गों में से कोई भूमि न ले तो ऊँची बोली बोलने वाले व्यक्ति को दे दी जायेगी।

पट्टे ऐसे प्रतिबंध के साथ दिये जायेंगे कि किसी भी समय आवश्यकता पडने पर पट्टा निरस्त करके भूमि वापिस ली जा सकती है। कृषक को सिंचाई विभाग की भूमि पट्टे पर लेते समय यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उसके एवं उसके आश्रितों के पास कुल मिलाकर 3.125 एकड से अधिक भूमि उपलब्ध नहीं है। पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की लगान दर सर्किल रेट की छः गुनी रखी जायेगी। पट्टेदार द्वारा भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जायेगा। भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु ही किया जायेगा।

(सै0 शाहनवाज अली किरमानी)
सहायक अभियन्ता,
प्रथम उपखण्ड, नि0गं0न0,
मैनपुरी